



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1247/CG/5/2023-APCR

दिनांक: 12/06/2023


1. श्री संजीव कुमार झा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट परिसर,
आई. टी. आई. चौक, कोसबाड़ी,,
कोरबा, छत्तीसगढ़ 495677
Email Id: korba.cg@nic.in

2. श्री यु. उदय किरन
पुलिस अधीक्षक,
जिला - कोरबा,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
कोरबा, छत्तीसगढ़ 495683
Email Id: sp-korba.cg@gov.in

विषय: प्रार्थिनी के हक की ज़मीन को गैर आदिवासी लोगों द्वारा ज़बरदस्ती अवैध कब्जा करने के संबंध में श्रीमती इन्द्रासो बाई का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Ms.Indraso Bai से दिनांक 31/05/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(हरिश्राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थः

सुश्री इन्द्रासो बाई
गांव-सिरमीना, पीएच नंबर 18,
आर.एन.एम.कोरबी, तहसील पोड़ी उपरोदा,
जिला-कोरबा छत्तीसगढ़,
मोबाइल नंबर: 8643065761